पत्रांक –01 / प्रा0आ0–35 / 2009 / 1688 / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 20/6/17

विषयः– शिविर लगाकर निजी नावों का निबंधन करने के *संबंध में।*

महाशय,

अवगत हैं कि नाव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि नदियों में नावों का परिचालन परिवहन विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निदेशों / नियमों के अनुसार हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि सभी निजी नावों का निबंधन भी नियमानुसार हो जाय।

2. दिनांक 14.01.2017 को सारण जिला क्षेत्र अवस्थित सबलपुर दियारा में आयोजित पतंग उत्सव के पश्चात् हुई नाव दुर्घटना की जांच हेतु गठित जाँच दल द्वारा दिए गए सुझावों के आलोक में कार्ययोजना बना कर उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ दिनांक 16.05.2017 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निजी नावों के पंजीकरण के लिए विज्ञापन आदि के माध्यम से अभियान चलाकर अधिक से अधिक संख्या में निजी नावों का नियमानुसार निबंधन किया जाय। निजी नावों के निबंधन कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से नदी घाटों पर हीं इसके लिए माह में 4 बार निबंधन शिविर का आयोजन किया जाय एवं इस कार्य हेतु प्रत्येक जिला में आवश्यकतानुसार एक से अधिक पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया जाय। निबंधित किए गए निजी नावों की सूची संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जाएगा।

3. उपरोक्त के आलोक में कार्रवाई करने हेतु आपके पत्रांक–2810 दिनांक–26.05.2017 के द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

अनुरोध है कि निजी नावों के निबंधन कार्य हेतु एक कार्य योजना शीघ्र तैयार कर लिया जाय। साथ ही माह जून 2017 में निबंधन शिविरों का आयोजन प्रारम्भ किया जाय। तद्नुसार सभी आवश्यक तैयारियाँ एवं पर्याप्त प्रचार–प्रसार कर लिया जाय ताकि उक्त तिथियों को सभी जिलों में अधिक से अधिक संख्या में निजी नावों का निबंधन हो सके।

इस संबंध में कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

[signature] 17/6/17

मुख्य सचिव

D:\2017\Baxala sir\Yojna 2017\letter 15-5-17 spe. sec.docx